



2026:AHC:12706

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 33416 वर्ष 2025

सुमित जिंदल

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

आशीष राय, ओम प्रकाश राय, सूर्या प्रताप सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष राय और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय सिंह की तर्क सुने और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक सुमित जिंदल की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद संख्या 147/2025 में धारा 318 (4), 319 (2), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धारा 66डी आयकर अधिनियम, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम, जिला गाजियाबाद के तहत विचारण न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 20.7.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक चावल मिल का थोक विक्रेता है। आवेदक के खाते में जमा की गई राशि उसने नहीं निकाली है। इस मामले में आरोपपत्र 15.8.2025 को दाखिल किया जा चुका है। सह-अभियुक्त विजय दयाल को इस न्यायालय द्वारा विविध जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन संख्या 32207/2025 में 16.12.2025 को आपराधिक मामले में जमानत दी जा चुकी है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्त-आवेदक **सुमित जिंदल** को, अपराध संख्या के अंतर्गत, स्वीय बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, जो कि न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।